14.12.21	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नहीं आया। अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कोर्ट में अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अतः अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी स्वाभाविक है अतः अपील अन्दर म्याद मुआफ की जाती है। क्योंकि पत्र मूल प्रकरण में पुख्ता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तहसीलदार स्वयं के सौंपा दिये जाकर गुणावगुण पर दो माह में निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.22 को उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी